

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 560]

रायपुर, गुरुवार, दिनांक 29 अक्टूबर 2020 — कार्तिक 7, शक 1942

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 5-19/2019/18.— छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) अधिनियम, 1984 (क्र. 15 सन् 1984) की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति (पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना) नियम, 2019 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 2 के उप-नियम (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

“(ख) “क्षेत्र” से अभिप्रेत है किसी बस्ती की ऐसी शासकीय भूमि, जिसे नगरीय निकाय द्वारा शहरी गरीबों के बसाहट हेतु घोषित किया गया है;

स्पष्टीकरण: ऐसा क्षेत्र, जो अधिनियम की धारा 3 में उल्लिखित तिथि में अस्तित्व में था, किन्तु किसी भी कारण से, नगरीय निकाय द्वारा शहरी गरीबों के बसाहट हेतु घोषित नहीं किया गया हो, को नगरीय निकाय द्वारा, इन नियमों के प्रयोजन के लिये, किसी भी समय शहरी गरीबों के बसाहट हेतु घोषित किया जा सकता है।”

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.

अटल नगर, दिनांक 20 अक्टूबर 2020

क्रमांक एफ 5-19/2019/18.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 5-19/2019/18 दिनांक 20-10-2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एच.आर. दुबे, उप-सचिव.

Atal Nagar, the 20th October 2020

NOTIFICATION

No. F 5-19/2019/18.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Adhiniyan, 1984 (No. 15 of 1984), the State Government, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana) Rules, 2019, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

For clause (b) of sub-rule (1) of rule 2, the following shall be substituted, namely:-

“(b) “Area” means such Government land of a slum that has been declared by the urban body for settlement to the urban poor;

Explanation: Such areas that existed on the date mentioned in Section 3 of the Act, but, for whatever reason, have not been declared by the urban body for settlement to the urban poor, the urban body may any time declare for settlement to the urban poor for the purposes of these rules.”

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
H.R. DUBEY, Deputy Secretary.